कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

: : परिपत्र : :

प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक–अभिभावक परिषद् का गठन किया जाता है, जो कि विद्यार्थियों के विद्यालय में भागीदारी एवं प्रगति के प्रबोधन में महत्वपूर्ण घटक होता है। प्रत्येक संस्था प्रधान द्वारा अध्यापक–अभिभावक परिषद् के प्रभावी एवं सभी विद्यालयों में समान रूप से संचालन के लिए एतद् द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते है :–

1. **अध्यापक अभिभावक परिषद का गठन** :– सभी अध्यापक एवं अभिभावक, अध्यापक–अभिभावक परिषद के सदस्य होंगे। विद्यार्थी के प्रवेश के साथ ही उसके अभिभावक का पंजीयन अध्यापक अभिभावक परिषद रजिस्टर में किया जाकर उन्हें पंजीयन कमांक से अवगत कराया जाएगा। भविष्य में होने वाले पत्राचार में उक्त पंजियन कमांक एवं वर्ष का उल्लेख किया जाएगा।
2. **अध्यापक अभिभावक परिषद् की बैठक**:–अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक सत्र में चार बार जुलाई, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च में अमावस्या के दिवस को की जाएगी। उक्त बैठक विद्यार्थियों के स्थानीय परीक्षा यथा परख, अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के परिणाम के बाद में आने वाली अमावस्या को आयोजित की जावे, जिससे विद्यार्थी के परिणाम पर भी विमर्श हो सके।
3. **बैठक नोटिस** :– संस्था प्रधान बैठक तिथि से दो सप्ताह पूर्व बैठक नोटिस विद्यार्थी के साथ उनके अभिभावक के पास पहुंचाऐ।
   - संस्था प्रधान बैठक के दो दिवस पूर्व एस.एम.एस./वाट्सएप से सूचना अभिभावक के सैलफोन पर पहुंचाएगें।
   - एसडीएमसी सदस्य अध्यापक–अभिभावक परिषद की बैठक से एक सप्ताह पूर्व अभिभावक के घर अनौपचारिक सम्पर्क करेंगे।
   - संस्था प्रधान बैठक से एक सप्ताह पूर्व ग्राम के सार्वजनिक स्थानों यथा पंचायत भवन, मंदिर, मस्जिद, बस स्टेण्ड़ इत्यादि पर बैठक नोटिस चस्पा करवाएंगे।
4. **बैठक का ऐजेन्डा**:–
   - प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अध्यापक–अभिभावक परिषद की बैठक में स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा विद्यालय विकास योजना की गत तीन माह की प्रगति प्रस्तुत करेंगे एवं आगामी तीन माह हेतु कार्ययोजना पर विमर्श करेंगे। गत परीक्षा/परख में विद्यार्थियों के परिणाम पर कक्षाध्यापक/विषयाध्यापक विद्यार्थीवार रिकार्ड संधारित कर अभिभावकों से विमर्श करेंगे, उन्हें सुझाव देंगे एवं फीडबेक लेंगे।
   - सहशैक्षिक गतिविधियों, विद्यार्थी की रूचि एवं उपलब्धियों पर अभिभावकों के साथ विमर्श किया जाएगा।
   - ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने उच्च उपलब्धि प्राप्त की है, उन्हें उक्त बैठक में पृथक से सभी के सामने पहचान देकर सम्मान किया जावे। आवश्यक हो तो उनके कौशल (यथा गीत, संगीत, चित्रकला या अन्य कला) के प्रदर्शन हेतु विद्यार्थी को उचित माध्यम से समुचित असर प्रदान किया जाए।
5. **बैठक गतिविधियों का संधारण**:–
   - शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में ही अध्यापक अभिभावक परिषद का रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, अभिभावक का परिषद में पंजीयन कमाक, अन्य संतानों का विवरण, जो इस विद्यालय में अध्ययनरत् है या अभी विद्यालय प्रवेश की आयु सीमा से छोटे है, का भी उल्लेख होना चाहिये।

* प्रत्येक बैठक के बाद बैठक विवरण निम्नांकित प्रारूपो में संस्था प्रधान द्वारा संधारित कर हस्ताक्षरित किया जाएगा।

प्रारूप –1

बैठक की दिनांक	विद्यार्थियों के नाम, जिनके एक अथवा दोनों अभिभावकों ने बैठक में भाग लिया	नाम एवं अभिभावक के हस्ताक्षर

प्रारूप – 2

बैठक की दिनांक	विद्यार्थियों के नाम जिनके अभिभावकों ने बैठक में भाग नहीं लिया	संस्था प्रधान द्वारा अनुपस्थित रहने वाले अभिभावक को इस हेतु जारी किए गए पत्र की दिनांक

* बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावक को संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप में पत्र जारी कर इस हेतु सूचित किया जाएगा एवं आगामी कार्य दिवस तथा आगामी बैठक में भाग लेने हेतु आग्रह किया जाएगा।
* प्रत्येक बैठक उपरांत प्रगति को शाला दर्पण पर अपलोड़ किया जाएगा।

समस्त सम्बन्धित उपर्युक्त निर्देशानुसार अध्यापक–अभिभावक परिषद् के गठन तथा बैठक आयोजन सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की जानी सुनिश्चित करेंगे तथा सम्बन्धित अभिलेखों का सतत् रूप से संधारण करेंगे।

सलंग्न– अनुपस्थित अभिभवाकों को प्रेषणीय पत्र का प्रारूप

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/22241/अ.अ परिषद/2016/ दिनांक : 06.07.2016

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
9. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
10. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
11. समस्त मण्डल उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)–प्रथम/द्वितीय।
13. वरिष्ठ सम्पादक–शिविरा, कार्यालय हाजा को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

पत्र का प्रारूप

अध्यापक – अभिभावक परिषद् राजकीय ....विद्यालय ....

आदरणीय /आदरणीया ....

शुभाभिवादन !

विद्यालय में दिनांक .... को आयोजित अध्यापक– अभिभावक परिषद की बैठक में आपकी सादर उपस्थिति हेतु आपसे आग्रह किया गया था। आप के अनुपस्थित रहने से महत्वपूर्ण विमर्श में आपकी भागीदारी नहीं हो सकी और न ही आपके पुत्र/पुत्री........ ......(विद्यार्थी का नाम) कक्षा...........वर्ग.................की शैक्षिक एवं सह शैक्षिक प्रगति/आवश्यकताओं से आपको अवगति दी जा सकी। अतः आपसे आग्रह है कि आगामी कार्यदिवस को उपस्थित होकर विद्यार्थी की प्रगति एवं बैठक के विमर्श के निर्णयों एवं सुझावों की अवगति प्राप्त करलें ।

आपसे यह भी अनुरोध है कि आगामी अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक माह ...... में आयोज्य है, उसमें अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करावें।

धन्यवाद।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मुहर